CANCELLED CANCELLED CANCELLED

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क्रं. : अपील -464- I 16

एम०एम०मुदगल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
11 JAN 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपीलार्थी – अजय सिंह पुत्र भागवत सिंह लोधी
निवासी ग्राम मोहगांव तहसील लखनादौन
जिला–सिवनी

विरूद्व

प्रत्यर्थी – मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर सिवनी (म.प्र.)

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 (2) भू.रा.सं. 1959

अपीलार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्र.क्रं. 247–अ–19–2000–01 में पारित आदेश दिनांक 26–11–2015 से परिवेदित होकर द्वितीय अपील निम्नांकित तथ्य एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है :–

तथ्य – प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1– यह कि अपीलार्थी को 20 सूत्रीय समिति द्वारा वर्ष 1981–82 में तहसीलदार लखनादौन के प्रकरण क्रं. 223–अ–19/81–82 में पारित आदेश से ग्राम मोहगांवखुर्द की भूमि खसरा नंबर 204/1 के रकवा 0.632 हे. का पट्टा मावजा राशि 868.30 पैसे जमा करने पर अपीलार्थी के बाबा दीवान सिंह पुत्र नाथूराम को प्रदान किये जाने के आदेश हुये थे उक्त राशि अपीलार्थी के बाबा ने चालान क्रमांक 24 दिनांक 12–11–82 से जमा कर पट्टा विधिवत प्राप्त किया था, जो अपीलार्थी को उसके बाबा दीवान सिंह द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 11–10–1984 से प्राप्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-464-एक/16 **जिला** - सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/06/17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्रकरण क्रमांक 247/अ-19/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-44 (2) के तहत पेश की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मोहगांव प.ह.नं. 49 तहसील लखनादौन जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 204/1 रकवा 0.632 हे. भूमि दीवान सिंह आ0 नाथू सिंह को तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.11.82 द्वारा पट्टे पर प्रदाय की गई थी। म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग भोपाल के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ-16/187/सात-2ए/01 दिनांक 08.10.91 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कलेक्टर सिवनी द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण क्रमांक 39/अ-19/2001-02 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 01.04.2002 द्वारा व्यवस्थापन पट्टा निरस्त किया जाकर भूमि शासन पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष अपील पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 26.11.2015 द्वारा निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। 3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में यह तर्क दिए गए हैं कि पूर्व में आवेदक को दिए गए पट्टे की शिकायत होने पर कलेक्टर सिवनी ने प्रकरण क्रमांक 9/अ-19/84-85 में पारित आदेश दिनांक 26.05.86 से आवेदक को प्रदत्त पट्टा वैध पाये जाने पर स्थिर रखा गया है। इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। अतः उक्त पट्टे पर पुनः स्वमेव पुनरीक्षण कर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। अत: कलेक्टर सिवनी का उक्त आदेश दिनांक 01.04.202 रेसजुडीकेटा के सिद्धांत से अवैध है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि कलेक्टर सिवनी ने लगभग 20 वर्ष बाद स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की है, जो विधि विपरीत है। जिसके समर्थन में निम्न न्याय दृष्टांतों 1999 रा.नि. 82 (उच्च न्यायालय) - सीताराम विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा अन्य, 1990 रा.नि. 77, 1994 रा.नि. 61, 1997 रा.नि. 219 (उच्च न्यायालय) प्रताप सिंह तथा अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य, 1998 एम.पी. वीकली नोट्स 26, 2010 (4) MPLJ 178 पूर्णपीठ (उच्च न्यायालय) रणवीर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन, 1992 रा.नि. 163 (उच्च न्यायालय) म.प्र. राज्य विरुद्ध शोभाराम इत्यादि न्याय दृष्टांतों का हवाला दिया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि बंटन/व्यवस्थापन के बाद आवेदकों के ने काफी धन एवं श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है, सिंचाई के साधन किए हैं। अत: 24 वर्ष उपरांत व्यवस्थापन रद्द करना न्यायदान नहीं है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई थी तो उक्त त्रुटि के कारण आवेदकों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा 2009 आर.एन. 251 इंदार सिंह अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन का हवाला दिया गया है। उक्त आधारों पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करने तथा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है। 4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22.11.82 के द्वारा आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिया गया है। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को दिए गए	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-464-एक/16 **जिला** - सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पट्टे की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा जांच कराई जाकर प्रकरण क्रमांक 9/अ-19/84-85 में पारित आदेश दिनांक 26.05.86 द्वारा पट्टे के आदेश को स्थिर रखा गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर सिवनी द्वारा पुन: तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेना रेसज़ुडीकेटा की परिधि में आता है। उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पूर्णतया अनदेखा किया गया है। अत: इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे न्यायिक एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं। 6. अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश को 20 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आदेश दिनांक 01.04.2002 द्वारा निरस्त किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है। न्याय दृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकारण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना है। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्याय दृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - "म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 पुनरीक्षण संहिता की धारा-50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की	

-5-

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्षर
	अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।" उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है, अत: स्थिर नहीं रखा जा सकता। 7. प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह भी है कि भूमि का पट्टा प्राप्त होने के बाद आवेदकों ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर कृषि योग्य बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए भूमि को शासकीय घोषित करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। न्यायदृष्टांत 2009 आर.एन. 251 (इंदार सिंह अन्य विरुद्ध म0प्र0 शासन) में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - भूमि आदिवासी/आवेदकगण को आबंटित की गई - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई हैं।" इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को अनदेखा किया गया है। इस कारण उनके आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 तथा कलेक्टर सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2002 अवैधानिक होने से निरस्त किए जाते हैं। तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	